

प्रारूप 2 नियम ग्राम सभा की कार्यवाही की पुस्तक नमूना।

पंचायत बबीना ग्रामीण दिनांक 16.9.2021 समय 3.00 स्थान पंचायत भवन बबीना

उपस्थित सदस्य बबीना ग्रामीण सभा के समक्ष रखे गये ग्राम बबीना तहसील भांसी जनपद-झाँसी, उ०प्र० के पुराने राष्ट्रीय सजमार्ग-26 के चैनेज संख्या 27+980 के समीप स्थित संरक्षित वन क्षेत्रफल 0.0555 है० एवं बबीना आरक्षित वन ब्लॉक (डॉंग सरकार), क्षेत्रफल-0.5460, पन्ती वन ब्लॉक आरक्षित वन 0.1020 है०, सैंधनी आरक्षित वन ब्लॉक 1.8000 है० स्थित आरक्षित वन भूमि क्षेत्र से 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र से 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र एम०ई०एस० तक 33 के०वी० नया विद्युत लाईन की स्थापना वाले कार्य की ग्राम सभा द्वारा सहमति पत्र जारी करने के संबंध में विचार विमर्श।

प्रस्तावक :- श्री/श्रीमती दीनदयाल सरपंच (प्रधान) ग्राम सभा बबीना ग्रामीण अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड, द०वि०वि०नि०लि० झाँसी के अनुसार 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र से 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र एम०ई०एस० तक 33 के०वी० नया विद्युत लाईन स्थापित हो रही है इस कार्य से ग्राम सभा सदस्यों को अवगत कराया गया। ग्राम सभा .. बबीना ग्रामीण द्वारा नया विद्युत लाईन की स्थापना से सहमत है। प्रस्ताव पर विचार पूर्वक सदस्यों से चर्चा की गयी, चर्चा के बाद ग्राम सभा द्वारा विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड, द०वि०वि०नि०लि० झाँसी की नयी विद्युत लाईन की स्थापना हेतु सहमति जारी की जाती है प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित हुआ।

सदस्यगण

जिनेश

अनाप

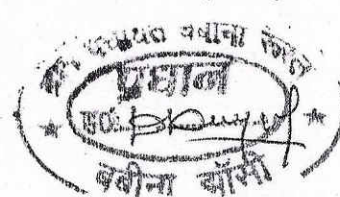
गीता

दया प्रसाद

राजकुमार

ग्राम सभा सचिव
ग्राम पंचायत बबीना
विभाग बबीना (झाँसी)

सरपंच (प्रधान)



कार्यालय ग्राम सभा बबीना भारीज

तहसील - झाँसी

जिला- झाँसी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

तहसील झाँसी जिला झाँसी उत्तर प्रदेश में ग्राम बबीना तहसील झाँसी जनपद-झाँसी, उ०प्र० के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के चैनेज संख्या 27+980 के समीप स्थित संरक्षित वन क्षेत्रफल 0.0555 है० एवं बबीना आरक्षित वन ब्लॉक(डॉंग सरकार), क्षेत्रफल-0.5460, पन्ती वन ब्लाक आरक्षित वन 0.1020 है०, सैंधनी आरक्षित वन ब्लाक 1.8000 है० स्थित आरक्षित वन भूमि क्षेत्र से 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र से 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र एम०ई०एस० तक 33 के०वी० नया विद्युत लाईन की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा बबीना के अंतर्गत, सभा बैठक में दिनांक 16/09/21 को विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड, द०वि०वि०नि०लि० झाँसी द्वारा संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि में विद्युत लाईन की स्थापना के लिये आवेदित वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ग्राम सभा वासियों से विस्तृत चर्चा करने के उपरांत, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का/कृषि कार्य हेतु कब्जा/दावा नहीं है।

ग्राम सभा बबीना को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आरक्षित वन भूमि में जनपद-झाँसी, उ०प्र० के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के चैनेज संख्या 27+980 के समीप स्थित संरक्षित वन क्षेत्रफल 0.0555 है० एवं बबीना आरक्षित वन ब्लॉक(डॉंग सरकार), क्षेत्रफल-0.5460, पन्ती वन ब्लाक आरक्षित वन 0.1020 है०, सैंधनी आरक्षित वन ब्लाक 1.8000 है० स्थित संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि क्षेत्र से 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र से 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र एम०ई०एस० तक 33 के०वी० नया विद्युत लाईन की स्थापना में कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर

सरपंच(प्रधान)



कार्यालय ग्राम सभा बबीना आरक्षित जनपद पंचायत झांसी

जिला झांसी (उ०प्र०)

ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:-

01. अधिशासी अभियंता विद्युत माध्यमिक कार्य खंड, द०वि०वि०नि०लि० झांसी (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम) जनपद झांसी उत्तर प्रदेश में ग्राम बबीना में नया 33 के०वी० विद्युत लाइन की स्थापना।
02. जनपद-झांसी, उ०प्र० के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के चैनेज संख्या 27+980 के समीप स्थित संरक्षित वन क्षेत्रफल 0.0555 है० एवं बबीना आरक्षित वन ब्लॉक(डॉंग सरकार), क्षेत्रफल-0.5460, पन्ती वन ब्लॉक आरक्षित वन 0.1020 है०, सैधनी आरक्षित वन ब्लॉक 1.8000 है० स्थित आरक्षित वन भूमि क्षेत्र से 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र से 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र एम०ई०एस० तक 33 के०वी० नया विद्युत लाईन की स्थापना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम बबीना आरक्षित एवं संरक्षित वन राजस्व वन क्षेत्र में हैं। उक्त भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
03. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा सभा की बैठक दिनांक 16/09/21 को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
04. ग्रामसभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा में व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को भलीभांति समझ लिया है।
05. वन भूमि में व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किए जाने वाले कार्य से पंचायत/ग्राम सभा के विकास की संभावना है अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही विवरण की छाया प्रति।



टिप्पणी : (प्रस्ताव पर यदि ग्राम सभा की सहमति हो तभी यह प्रमाण पत्र जारी किया जाए यदि ग्राम सभा सहमत नहीं है तो प्रमाण पत्र जारी न किया जाए।)

उपखंड स्तरीय समिति

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अंतर्गत आरक्षित वन भूमि में अनुमति प्राप्त करने के संबंध में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय झांसी से अनुसूचित जनजाति (Tribul group) के दावा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में-

ग्राम बबीना तहसील झांसी जनपद-झांसी, उ०प्र० के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के चैनेज संख्या 27+980 के समीप स्थित संरक्षित वन क्षेत्रफल 0.0555 है० एवं बबीना आरक्षित वन ब्लॉक(डॉंग सरकार), क्षेत्रफल-0.5460, पन्ती. वन ब्लॉक आरक्षित वन 0.1020 है०, सैंधनी आरक्षित वन ब्लॉक 1.8000 है० स्थित आरक्षित वन भूमि क्षेत्र से 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र से 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र एम०ई०एस० तक 33 के०वी० नया विद्युत लाईन की स्थापना हेतु प्रस्तावित है संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल कमेटी की आख्या:

उपरोक्त के क्रम में मिनिस्ट्री आफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा जारी गजट 01.01.2008 के अनुसार निर्धारित कमेटी द्वारा विषयांकित स्थल ग्राम सभा में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि में कोई भी आदिवासी जनजाति ट्राइबल ग्रुप अथवा अन्य वन उपज पर आधारित वन निवासी नहीं है, और न ही, उनका कोई वन भूमि पर दावा लंबित है, जिसके कारण वन संबंधित अधिकार एवं उनके हित प्रभावित होने का प्रश्न नहीं है व प्रारंभिक कृषक समुदाय के हित भी प्रभावित नहीं होते हैं गजट में वर्णित समिति के सदस्यों के निम्नानुसार हस्ताक्षर किए गए हैं।

1. उपखंड अधिकारी या समतुल्य अधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी

उपखंड विकास अधिकारी
बबीना (झांसी)

उप जिलाधिकारी
झांसी

2. उप प्रभागीय वनाधिकारी,

उप प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

3. सहायक विकास अधिकारी, समाज कल्याण

4. ब्लॉक स्तर पंचायत के तीन सदस्यों जिनके दो एस०टी०/फारेस्ट डेवलर्स एवं (एक महिला सदस्या) के हस्ताक्षर

21/06/2012
गीता
ध्याप्रसाद
जुवागाम



ग्राम विकास अधिकारी/सचिव
ग्राम पंचायत बबीना (झांसी)
विहस उपखंड-बबीना (झांसी)

जिला स्तरीय समिति

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि में अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

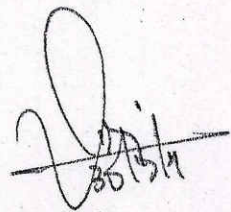
श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, झांसी से अनुसूचित जनजाति (ट्राइबल ग्रुप्स) दावा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संदर्भ में

ग्राम सभा बबीना (ग्रामीण) तहसील झांसी, जनपद झांसी, उ०प्र० के पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 (नया-44) की संरक्षित वन भूमि 0.0555 हे० एवं बबीना आरक्षित वन ब्लाक (डांग सरकार) की भूमि 0.5460, पन्ती वन ब्लाक आरक्षित वन क्षेत्रफल 0.1020 हे०, सैंधनी आरक्षित वन ब्लाक क्षेत्रफल 1.80 हे० कुल आरक्षित वन भूमि 2.448 हे० संरक्षित वन भूमि 0.0555 हे० कुल 2.5035 हे० वन भूमि क्षेत्र से 220 के०वी० नया विद्युत लाइन की स्थापना हेतु वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्तावित है। संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल कमेटी की आख्या वस्तुतः ग्राम समिति एवं खण्ड स्तरीय समिति पर हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की है, जिसकी प्रति संलग्न कर जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत है, जिसका समिति द्वारा अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त प्रश्नगत मामले में मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा जारी गजट 0.01.2008 के अनुसार निर्धारित कमेटी द्वारा विषयांकित स्थल ग्राम सभा (बबीना ग्रामीण), तहसील व जिला झांसी में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संरक्षित कमेटी द्वारा विषयांकित स्थल ग्राम में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि में कोई भी आदिवासी जनजाति (ट्राइबल ग्रुप) अथवा अन्य वन उपज पर आधारित कोई वन निवासी नहीं है और न ही कोई उनका वन भूमि पर दावा लम्बित है। अतः ग्राम समिति एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की संलग्न आख्या से सहमति प्रदान की है।


 09/09/21
 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 झांसी
 भारत


 (वी०के० मिश्र)
 I.F.S.
 प्रभागीय वनाधिकारी
 झांसी वन प्रभाग, झांसी
 प्रभागीय वनाधिकारी
 झांसी वन प्रभाग, झांसी


 (आन्दा वामसी)
 I.A.S.
 जिलाधिकारी,
 झांसी
 (आन्दा वामसी)
 जिलाधिकारी, झांसी

गुजरात - Year-2011

PRIMARY CENSUS ABSTRACT

CENSUS ABSTRACT

Babina

Scheduled Castes population			Scheduled Tribes population			Literates			Name of Village
Persons	Males	Females	Persons	Males	Females	Persons	Males	Females	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	2
42,108	22,204	19,904	1,016	530	486	92,955	58,217	34,738	Babina (Total)
38,609	20,380	18,229	968	507	461	83,446	52,795	30,651	Babina (Rural)
3,499	1,824	1,675	48	23	25	9,509	5,422	4,087	Babina (Urban)
RURAL									
280	151	129	-	-	-	392	266	126	Badanpur
361	206	155	-	-	-	809	558	251	Basai
667	347	320	-	-	-	1,224	771	453	Khaira
781	419	362	15	9	6	2,911	1,962	949	Baidora
508	259	249	59	32	27	836	541	295	Murari
1,364	752	612	4	1	3	2,728	1,766	962	Chamaraua
125	70	55	-	-	-	325	228	97	Gurha
266	141	125	2	1	1	280	180	100	Dogri
829	472	357	-	-	-	923	639	284	Kichalwara Bujurg
747	398	349	-	-	-	1,941	1,284	657	Sarvad
405	213	192	-	-	-	604	380	224	Parasai
434	226	208	-	-	-	759	498	261	Bachhauni
709	391	318	-	-	-	1,643	1,015	628	Rajapur
897	468	429	-	-	-	2,037	1,310	727	Dagarwaha
671	361	310	-	-	-	772	528	244	Bamair
994	528	466	19	10	9	1,247	777	470	Bajna
143	78	65	-	-	-	325	212	113	Gagauni
234	119	115	-	-	-	907	571	336	Imiliya
71	38	33	-	-	-	440	281	159	Punawali Khurd
338	191	147	-	-	-	942	605	337	Amarpur
188	103	85	-	-	-	635	423	212	Baruapur
170	100	70	-	-	-	521	348	173	Gobara
100	50	50	-	-	-	856	540	316	Domagor
787	425	362	77	43	34	2,014	1,330	684	Punawali Kalan
621	305	316	-	-	-	1,389	875	514	Dhikoli
349	181	168	-	-	-	773	482	291	Kot Khera
455	248	207	131	67	64	1,069	675	394	Palida
929	477	452	2	1	1	1,916	1,124	792	Pali Pahari
612	317	295	6	5	1	1,531	926	605	Sijwaha
1,940	992	948	48	24	24	5,408	3,242	2,166	Raksa
57	36	21	-	-	-	331	237	94	Math
320	171	149	-	-	-	148	99	49	Rampura
241	135	106	-	-	-	1,583	980	603	Athodna
258	139	119	-	-	-	511	334	177	Pathari
876	465	411	-	-	-	1,175	769	406	Rund Balaura
840	445	395	-	-	-	1,495	929	566	Balaura
289	156	133	18	9	9	681	446	235	Safa
867	475	392	208	110	98	1,308	849	459	Mathura Pura
-	-	-	-	-	-	268	185	83	Kichalwara Khurd
384	213	171	1	1	-	1,212	812	400	Khajuraha Khurd
1,985	1,025	960	52	28	24	2,571	1,687	884	Khajuraha Bujurg
3,714	1,915	1,799	5	2	3	7,556	4,482	3,074	Simrawari
416	235	181	6	2	4	816	434	382	Dagaria Rund
296	167	129	107	61	46	1,824	1,147	677	Saiyar
1,077	561	516	5	2	3	1,306	829	477	Burhpura
794	403	391	-	-	-	1,309	853	456	Hirapur
137	82	55	-	-	-	369	262	107	Mankuwa
198	99	99	1	-	1	633	411	222	Baijpur
20	10	10	-	-	-	684	424	260	Khari
664	353	311	1	1	-	1,086	679	407	Guaoli
707	388	319	-	-	-	1,531	990	541	Ghisoli
729	378	351	2	2	-	1,044	730	314	Baghaura
748	379	369	16	7	9	1,165	769	396	Barora
76	41	35	-	-	-	420	275	145	Nohara
417	206	211	5	4	1	510	329	181	Pura
1,286	656	630	13	5	8	5,067	2,927	2,140	Babina (Rural)

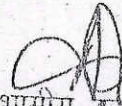
MISCELLANEOUSFebruary 10, 1960

No. 1115/XIV-331-50 whereas the Governor, Uttar Pradesh, is of the opinion that the making of inquiry and record contemplated under sub-section (3) of section 29 of the I.F.A. 1927 (Act NO. XIV of 1927), will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of the State Government. Now therefore in exercise of the powers conferred by the provision to the aforesaid sub-section and by sub-section (1) of said section, read with the section 80-A of the aforesaid Act, the Governor of U.P. is pleased to declare that pending such inquiry and record the provisions of Chapter IV of the said Act to be applicable to the lands specified in the Schedule here to:-

Schedule

District	Sl. No.	Name of the road	Mileage to be declared as Reserve or protected forest.						Description of boundary
			From			To			
			M.	Fg.	Pl.	M.	Fg.	Pl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jhansi	1.	Lucknow-Jhansi road N.H. route No. 25	148	0	0	188	0	0	The boundary of the land has been demarcated on the grounding the stone pillars.
	2.	Jhansi-Shivpuri road N.H. route No. 25	0	0	0	11	3	288	"
	3.	Jhansi-Agra road	0	0	0	11	3	0	"
	4.	Jhansi-Mau-Harpalpur road	2	0	0	49	0	0	"
	5.	Erich-Mau Ramori road	0	0	0	43	4	430	"
	6.	Mau-Ramori road	0	4	0	3	2	0	"
	7.	Erich Rly. Feeder road	0	0	0	0	2	507	"
	8.	Chirgaon Station Rly. Feeder road	0	0	0	0	3	250	"
	9.	Moth-Santhar road	0	4	18	0	6	278	"
Jalaun	1.	Ait-Kotra road	1	0	0	2	0	0	"
	2.	Lucknow-Jhansi road	97	0	0	147	0	0	"
	3.	Orai-Rath road	1	0	0	15	0	0	"
	4.	Hamirpur-Kalpi road	1	0	0	33	0	0	"
	5.	Orai-Oriya road	1	0	0	35	0	0	"
	6.	Jalaun-Bangra	1	0	0	11	0	0	"
	7.	Koach-Nandigaon road	1	0	0	13	4	0	"
Lalitpur	1.	Jhansi-Sagar	1	0	0	82	0	0	"

2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Babina Station Feed road	0	0	0	To	M.	S.	"
4.	Babina-Talbehat Fair Weather road	1	0	0	26	0	0	"
5.	Lalitpur-Mahroni foad	0	0	0	27	0	0	"
6.	Samthar-Pipri Kalan road	1	0	0	11	2	0	"
7.	Pandum-Binja road	1	0	0	9	2	220	"


 प्रभागीय वनाधिकारी
 झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

Forest Department

Dated Allahabad, the 21st February, 1879.

No. 144. In exercise of the powers conferred by section 34 of the Indian Forest Act, the Hon'ble the Lieutenant-Governor of the North Western Provinces hereby declares the land described in the schedule hereto annexed to be reserved forests :-

District	Pargana	Name of forest	Description of boundaries
		Babina. Barora. Ghilsauli. Baghora. Saikar. Pirthipura-Niakhera. Koti. Bura. Lahar. Thakurpura. Ganeshpura. Simaria. Manpur. Simra bari. Rasoi. Nohra. Lyar.	Marked on all sides by masonry pillars 181 34 50 95 60 48 48 93 246 86 74 68 132 150 79 70 38 48 55 }
		Bangawan.	North. Boundaries of Nohat Chir. South. Illaka Orcha. West. Betwa river. East. Boundary of old Bangawan.
		Sukwan.	By 26 pillars, conical shaped 2 ft. high with pyramidal tops and numbered 1 to 26.
		Dhukwan.	No pillars. On the east Betwa river. On the west. Boundary of Niakhera. On the north. Mauza Sukwan. And on the south mauza Saikar. Revised boundary as given by Mr. Carr, in 1906.
		Magarpur. Khisni Buzurg. Magarwara. Ghurat. Kachneo. Ganupura. Rora.	North. Sukwan Forest Reserve. East. Betwa river. South. The demarcated boundary of the Dhukwan weir. West. Pirthipura forest reserve.
		Ghat Lashura. Kheri. Barora.	Marked on all sides by 31 masonry pillars ditto 61 ditto 69 ditto 100 ditto 20 ditto 32 ditto 73 } ditto } ditto } ditto } ditto } ditto } ditto } ditto } ditto } ditto } ditto } ditto on east by river Dhaban. Marked on all sides by 30 masonry pillars except on east by Dhaban river. Marked on all sides by 6 masonry pillars ditto 16 } ditto

Dist.	Pargana.	Name of forest.	Description of boundaries.
JHANSI DISTRICT	GARAUTHA	Gurha .	Marked on all sides by 43 masonry pillars .
		Imlautha .	ditto 21 ditto
		Moti Katra .	ditto 70 ditto, except
		Ramora .	on east by river Dhasan .
		Barmain .	Marked on all sides by 38 masonry pillars
		Kharwanch .	ditto 24 18 ditto
		Tharro .	ditto 24 ditto
		Bhasnch* .	ditto 11 ditto
		Madhopura* .	ditto 18 ditto
		Etaura* .	ditto 15 ditto
		Ranapura* .	ditto 14 ditto
			2 ditto .

* The new Bhasnch Reserve includes forests of Madhopura
Etaura and Ranapura.

True Copy

P. H. Wilson
Head Clerk,

Divisional Forest Office,
Jhansi Division.